| श। की कम ख्या और रीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br><br>शस्त्रवाद सं. 70/2014 | आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|

**सारण समाहरणालय, छपरा।**

**न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।**
**जिला विधि प्रशाखा**
**कुमार कौशल किशोर सिंह, पे0–स्व0 उपेन्द्र सिंह, सा0–रामपुर रूद्र, थाना–पानापुर, जिला–सारण**
**आदेश**

/12/2014

प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 1807/गो0 27.5.12 के द्वारा आवेदक कुमार कौशल किशोर सिंह, पे0–स्व0 उपेन्द्र सिंह, सा0–रामपुर रूद्र, थाना–पानापुर, जिला–सारण का रायफल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच प्रतिवेदन के उपरान्त आरम्भ किया गया है। यह माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल वाद सं0 ......../13 से संबंधित है।

आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र पर उनकी उपस्थिति में दिनांक 22.7.2014 को सुनवाई की गयी तथा अभिलेख में संधारित सभी जॉच प्रतिवेदनों एवं कागजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

शस्त्र अनुज्ञप्ति की आवश्यकता के संदर्भ में दिनांक 22.7.2014 को सुनवाई के कम में आवेदक के द्वारा बतलाया गया कि वे प्रखंड शिक्षक हैं और उनकी भाभी प्रखंड प्रमुख है तथा उनके परिवार में किसी भी सदस्य के पास किसी प्रकार के शस्त्र की कोई अनुज्ञप्ति नहीं है। अतः उनके द्वारा अपने जानमाल की सुरक्षा हेतु रायफल की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आवेदक के जानमाल के विरूद्ध किसी प्रकार के खतरे की आशंका से संबंधित कोई भी प्रतिवेदन अंकित नहीं है, इसलिए इस न्यायालय के पत्रांक 894 दिनांक 26.8.14 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा से स्पष्ट प्रतिवेदन की मॉग की गयी, जिसके आलोक में पुलिस अधीक्षक, सारण के ज्ञापांक 4101/गो0 दिनांक 29.9.14 के द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित

किया गया।

पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 4101/गो0 दिनांक 29.9.14 के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मढ़ौरा, सारण के पत्रांक 865 दिनांक 23.9.14 एवं थानाध्यक्ष, पानापुर के ज्ञापांक 997 दिनांक 15.9.14 को संलग्न कर प्रेषित किया गया है। थानाध्यक्ष, पानापुर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक पानापुर थाना कांड सं0 72/13 दिनांक 15.8.13 धारा–147, 148, 149, 323, 307, 379, 384 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट में नामजद अभ्युक्त हैं। इनके विरूद्व अनुसंधान जारी है।

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के विरूद्व स्थानीय थाना में काफी गंभीर आरोपों के साथ प्राथमिकी दर्ज है एवं वर्त्तमान में अनुसंधान जारी है। अतः ऐसी परिस्थिति में उन्हें किसी प्रकार के शस्त्र की अनुज्ञप्ति देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञाप सं0–7/अनु0–10–25/2010 गृ0आ0 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक कुमार कौशल किशोर सिंह, पे0–स्व0 उपेन्द्र सिंह, सा0–रामपुर रूद्र, थाना–पानापुर, जिला–सारण के द्वारा दिनांक 25.7.2011 को रायफल की अनुज्ञप्ति के लिए दाखिल आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 24 / न्या० दिनांक 13/1/2015

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सारण / जिला शस्त्र उपाधिकारी, सारण, छपरा / को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन० आई० सी०, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसे इस जिले के website पर upload करने का कष्ट किया जाए।

13/1/15

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण

13/1/15